

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

सं०...../रा०,पटना/दिनांक .....

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा-तेतराही, थाना नं०-74, थाना-बेगूसराय, परगना-भुसारी, जिला-बेगूसराय में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात्-अनुसूचित जाति टोला में पहुँच पथ हेतु भू-अर्जन के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिये पूर्वोक्त ग्राम नं०- तेतराही, थाना नं०-74 के भीतर कमांवेश बी०-X क०-X धुर-X है जो-0.05 एकड़ के बराबर है। भूखण्ड जिसमें -X एकड़ बंजर तथा-0.05 एकड़ कर्बेरीय है, अधिभूत है। जिसका पूर्ण वर्ग खण्ड सं०-X तथा आंशिक सर्वे खेसरा सं०-105 एवं 108 है और इसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर	आंशिक सर्वे खेसरा सं० 105 एवं सर्वे खेसरा सं० 107
दक्षिण	आंशिक सर्वे खेसरा सं० 108
पूरब	सर्वे खेसरा सं० 104 सड़क
पश्चिम	आंशिक सर्वे खेसरा सं० 107 एवं 109

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1984 की धारा-4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 1,1961 एवं भू-अर्जन संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिनका इस से संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भूमि-अर्जन पदाधिकारी के और इनके स्टॉफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे -अपर समाहर्ता, बेगूसराय के पदाधिकारियों और स्टॉफ को प्राधिकृत करती है, कि भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-2 से तथा संबंधित या यथा निर्दिष्ट अपने कार्य से समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि खेसरा, कृषि योग्य है और जिसका अर्जन तुरंत आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

समाहर्ता


बेगूसराय।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक संख्या - 14/डी0 एल0 ए0 बेगू0 (संपर्क पथ) -85/2012 - 31/रा०,

दि०-०५-०१-१३

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, बेगूसराय को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/समाहर्ता, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।